सिणधरी

27-9.17

प्रार्थी पक्ष की ओर से A.P (covert) पैरोकार सरकार सिणधरी उप.। विपक्षी एकतरफा। प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस बयान किया कि विवादित भूमि में वर्णित रकबा का उपयोग आमजन द्वारा आवागमन हेतु उपयोग में लिया जा रहा है और मौके पर रास्ता चल रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 163/18	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में निजी खातेदारी/सरकारी खाते में दर्ज है। जिसे राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। हमने प्रार्थी पत्र की बहस पर मनन किया और पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथा तथ्यों को विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। विवेचन में पाया, कि आवेदन में दर्शित विवादित भूमि का रकबा किता ख.नं. [illegible]/[illegible] निजी खातेदारी/सरकारी खाते में दर्ज है। जिसका मौके पर उक्त प्रस्तावित रकबा का आमजन के आने जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। और तहसीलदार तिजारा द्वारा भी उक्त रकबे की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करने की सिफारिश की गई है एवं विपक्षीगण बावजूद तामील नोटिस के हाजिर नहीं हुई है। इससे प्रतीत होता है, कि विपक्षी को प्रस्तावित रकबे की किस्म गै.मु. रास्ता किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि आपत्ति होती तो न्यायालय में हाजिर होकर कार्यवाही करते। लेकिन ऐसा विपक्षीगण द्वारा नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है, कि प्रस्तावित रकबे/जुज मौके पर रास्ता चल रहा है। ऐसी हालत में न्यायालय को गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति	

5

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	163
	प्रतीत नहीं होती है। लिखने वालों का आवेदन लोक भावना एवं जनहित को मद्देनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

क्रमांकः / राजस्व / 2017 / 1280 दिनांक 27.9.17

मु.सं.163 / 2017

–::आदेश::–

श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांकःप.12()(1)राजस्व / 2016 / 7205–40 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है,कि राजस्व ग्राम **लोहिड़ा** पटवार मण्डल **सिणधरी** तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2069–2072 के अनुसार के निम्नांकित भूमि निजी खातेदारी / सरकारी खाते में दर्ज है। लेकिन मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है,जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट / 04 दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 60(एच) के तहत राजस्व ग्राम **लोहिड़ा** पटवार मण्डल **सिणधरी** तहसील सिणधरी की निम्नांकित निजी खातेदारी / सरकारी भूमि को **गैर मुमकिन रास्ता** दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी में रहेगा। परंतु नक्शे में जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जायेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज की जायेगी। तहसीलदार सिणधरी तदनुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में आदेशानुसार पालना करते हुए पालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करावें। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र.स.	खातेदार का नाम	ख.न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि	
					रकबा	किस्म
1	अमराराम वल्द दूदाराम कौम जाट सा.देह खातेदार रहन–एम.जी.बी. शाखा सिणधरी	123 / 5	77-06	बा.दोयम	0-16	गे.मु.रास्ता
2	कानाराम वल्द रूपाराम कौम जाट सा.देह खातेदार रहन–एस.बी.बी.जे.शाखा सिणधरी	123 / 4	44-18	बा.दोयम	0-18	गे.मु.रास्ता
3	खूमाराम धमंड़ाराम पि.बुधाराम कौम जाट सा.देह खातेदार रहन–एस.बी.बी.जे.शाखा सिणधरी	155 / 2	48-13	बा.सोयम	1-13	गे.मु.रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

	मेगाराम वल्द गेनाराम कौम जाट सा.देह खातेदार रहन–एस.बी.बी.जे.शाखा सिणधरी	155/1	45-00	बा.सोयम	1-00	गे.मु.रास्ता
5	भीखाराम भोमाराम देवाराम पि. पुरखाराम लाभूदेवी पत्नि पुरखाराम कौम जाट सा.देंह खातेदार रहन–जे.टी.जी.बी. शाखा सिणधरी	155/3	86-03	बा.सोयम	0-18	गे.मु.रास्ता
6	धनाराम वल्द गेनाराम कौम जाट सा.देह खातेदार रहन–जे.टी.जी.बी.शाखा सिणधरी	155	89-00	बा.सोयम	1-01	गे.मु.रास्ता
7	राजस्थान सरकार (समर्पण भूमि)	155/7 155/8	0-05 0-05	बा.सोयम बा.सोयम	0-01 0-01	गे.मु.रास्ता गे.मु.रास्ता

(महावीरसिंह)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

क्रमांकः/राजस्व/2017/ 1281-82 दिनांक 27 .9.2017

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक पालनार्थ।

1. श्रीमान जिला कलक्टर,बाड़मेर।
2. तहसीलदार सिणधरी।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner